(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 2/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित 'टॉलूईन डाई-आइसोसायनेट' के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 61 (अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के मामले में उत्पादक के नाम में परिवर्तन करने के संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/22/2020-डीजीटीआर, दिनांक 5 अगस्त, 2020, जिसे दिनांक 5 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/22/2020-डीजीटीआर, दिनांक 29 अक्तूबर, 2020, जिसे 29 अक्तूबर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने मध्यकालिक समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 61 (अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की सारणी में उत्पादक "हान्वाह कैमिकल कॉर्पोरेशन" के नाम में संशोधन करके इसे "हान्वाह सोल्यूशन्स कॉर्पोरेशन" पढ़ा जाए ।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या

3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 61 (अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (6) की प्रविष्टि में "हान्वाह कैमिकल कॉर्पोरेशन" शब्दों के स्थान पर "हान्वाह सोल्यूशन्स कॉर्पोरेशन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फाइल संख्या 354/82/2017-टीआरयू(पीटी-II)]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018 को सा.का.नि 61 (अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 5/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 23 फरवरी, 2018, जिसे सा.का.नि 181 (अ), दिनांक 23 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।